न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

संशोधित आदेश

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

निगरानी संख्या 01/2026

1. सीताराम पुत्र स्वर्गीय श्री रामजीलाल उम्र 68 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बजावा रावत का तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू राजस्थान।

—निगरानीकार—

बनाम

1. परमानंद पुत्र श्री बृजलाल उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम बजावा रावत का तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू ।
2. अमित कुमार पुत्र श्री श्याम सुंदर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बजावा रावत का तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू ।
3. मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री दयानंद शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम बजावा रावत का तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू ।
4. ग्राम पंचायत बजावा रावत का, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू राजस्थान जरिये ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप कुमार।
5. रेखा देवी प्रशासक /सरपंच ग्राम पंचायत बजावा रावत का, तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं।
6. ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी झुंझुनू ।

—गैर निगरानीकारान—

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.11.2025 सकल्पं संख्या 05,06 एवं 07 पट्टा ग्राम पंचायत बजावा रावतका।

उपस्थितिः—

1. श्री अशोक कुमार शर्मा, एडवोकेट..... निगरानीकार की ओर से।
2. श्री सुरेश महला, एडवोकेट.....गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार, एडवोकेट..... राजकीय अधिवक्ता 4 लगायत 7 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 03.06.2026

उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 30.04.2026 को आदेश पारित हुआ था जिसमें प्रथम पृष्ठ पर सहवन से प्रकरण संख्या 01/2025 लिखा गया था जिसे निगरानी संख्या 01/2026 पढ़ा जावें एवं फैसले कि दिनांक 30.04.2026 कि जगह 15.05.2026 पढ़ा जावें एवं पृष्ठ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

संख्या 6 पर सहवन से निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बजावा रावतका द्वारा धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय पट्टा संख्या 05, अमित कुमार पुत्र श्याम सुन्दर व पट्टा संख्या 06, परमानन्द पुत्र बृजलाल व पट्टा संख्या 07, मनीष पुत्र दयानन्द दिनांक 07.11.2025 बसिलसिले पट्टा को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित आवेदन प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया के अनुसार पंचायत द्वारा निगरानीकार की आपत्ती सुनकर ही पट्टा जारी किया जावें। निगरानी खारिज होने की स्थिति में स्थगन के बाबत अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नही है जो सहवन से लिखा गया था जिसे निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बजावा रावतका द्वारा धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय पट्टा संख्या 05, अमित कुमार पुत्र श्याम सुन्दर व पट्टा संख्या 06, परमानन्द पुत्र बृजलाल व पट्टा संख्या 07, मनीष पुत्र दयानन्द दिनांक 07.11.2025 बसिलसिले पट्टा को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया के अनुसार पंचायत द्वारा निगरानीकार की आपत्ती सुनकर नियमानुसार किया जावें। निगरानी स्वीकार/खारिज होने की स्थिति में स्थगन के बाबत अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नही है।

यह संशोधित आदेश मुल निर्णय दिनांक 30.04.2026 का भाग रहेगा।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं

Scanned with CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

निगरानी संख्या 01/2025

1. सीताराम पुत्र स्वर्गीय श्री रामजीलाल उम्र 68 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बजावा रावत का तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू राजस्थान।

—निगरानीकार—

बनाम

1. परमानंद पुत्र श्री बृजलाल उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम बजावा रावत का तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू ।
2. अमित कुमार पुत्र श्री श्याम सुंदर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बजावा रावत का तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू ।
3. मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री दयानंद शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम बजावा रावत का तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू ।
4. ग्राम पंचायत बजावा रावत का, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू राजस्थान जरिये ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप कुमार।
5. रेखा देवी प्रशासक /सरपंच ग्राम पंचायत बजावा रावत का, तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं।
6. ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी झुंझुनू ।

—गैर निगरानीकारान—

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.11.2025 सकल्पं संख्या 05,06 एवं 07 पट्टा ग्राम पंचायत बजावा रावतका।

उपस्थितिः—

1. श्री अशोक कुमार शर्मा, एडवोकेट................................ निगरानीकार की ओर से।
2. श्री सुरेश महला, एडवोकेट.............गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार, एडवोकेट............ राजकीय अधिवक्ता 4 लगायत 7 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 30.04.2026

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि निगरानीकार ग्राम पंचायत बजावा रावतका का निवासी है तथा पूर्वजों के समय से ही ग्राम बजावा रावत का में ही निवास कर रहा है गैर निगरानीकार परमानंद अमित वह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

मनीष निगरानीकार के परिवार के सदस्य हैं निगरानीकार का एक आवासीय भूखंड ग्राम बजावा रावत का में स्थित है जो निगरानी कर व गैर निगरानी कार का पैतृक भूखंड है उक्त भूखंड निगरानीकार के पूर्वज व गैर निगरानीकार लगायत 3 के पूर्वज स्वर्गीय श्री मुखराम दाधीच का रहा है उक्त स्वर्गीय श्री मुखराम के चार पुत्र बंशीधर बृजलाल, दुर्गा दत्त व रामजीलाल हुए हैं। निगरानीकार स्व. श्री रामजीलाल का जायन्दा पुत्र है। कालांतर में पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार स्वर्गीय श्री मुखराम जी ने गुवाड़ी के उत्तरी आधे हिस्से को बंशीधर व दुर्गा दत्ते के हिस्से में दिया तथा दक्षिणी आधा हिस्सा निगरानीकार के पिता रामजीलाल और बृजलाल के हिस्से में दिया। क्योंकि रामजीलाल जो की निगरानीकार का पिता है के हिस्से में पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार पीछे का हिस्सा आया। कालांतर में रामजीलाल व बृजलाल के बीच सड़क से लगते हुए आगे के भूखंड के बाबत विवाद होने पर पारिवारिक सदस्यों के बीच लॉटरी निकाली गई जिसमें आगे का भूखंड बृजलाल जी के हिस्से में आया तथा तत्कालीन समय में मौजूद पारिवारिक सदस्यों द्वारा यह तय किया गया कि उक्त आगे के भूखण्ड से पिछले भूखंड में जाने के लिए 7 फुट का रास्ता आपसी राजीनामें से व्यक्तिगत रूप से रामजीलाल जी के हिस्से लिए छोड़ा गया उसके पश्चात श्री रामजीलाल जी मौजिज व्यक्तियों का कहना मानते हुए पीछे की भूमि व 7 फुट का व्यक्तिगत रास्ता लेकर उसे पर काबिज हो गए वह मकान वगैरह बना लिए जो रास्ता व्यक्तिगत रूप से श्री रामजीलाल जी को दिया गया था उसके उत्तर में दुर्गा दत्त जी व बंशीधर जी के वारिसान ने पुख्ता दीवार निकाल ली तथा दक्षिण में श्री बृजलाल जी व उनके वारिसान ने दीवार निकाल ली। इस प्रकार बृजलाल जी का रामजीलाल जी के हिस्से में आई भूमि व रामजीलाल जी के व्यक्तिगत 7 फीट के रास्ते से कोई लेना–देना ना रहा तथा श्री बृजलाल जी का मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि जिसकी चौड़ाई 30 फीट 6 इंच से रामजीलाल जी का कोई लेना–देना ना रहा। स्वर्गीय श्री रामजीलाल का देहांत होने के पश्चात निगरानीकार सीताराम रामजीलाल जी के हिस्से की भूमि का उत्तराधिकारी बना तथा अपनी आवश्यकता व सुविधा अनुसार उक्त भूखंड में मकान का निर्माण करवाया। कालांतर में बुजुर्गों के जाने के बाद बृजलाल जी के वारिसान के मन में बेईमानी आ गई तथा पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार रामजीलाल जी के हिस्से में छोड़े गए व्यक्तिगत रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया जिसके बाबत निगरानीकार ने एक दावा सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी के समक्ष विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा, अवैध तामीरात को हटाने बाबत प्रस्तुत कर रखा है। कालांतर में निगरानीकार के पुत्र जितेंद्र को यह पता चला कि बृजलाल जी के वारिसान परमानंद, अमित व मनीष द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पैतृक भूमि का पट्टा बनाने के लिए आवेदन कर रखा है तो निगरानी कार के पुत्र जितेंद्र ने ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बजावा रावत का को आपत्ति दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05. 2025 को प्रस्तुत किया। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच/प्रशासक की मनीष वगैरह के साथ मिली भगत के चलते उक्त प्रार्थना पत्र पर कर कोई कार्यवाही नहीं की गई। निगरानीकार ने दिनांक 07.07.2025 को भी ग्राम विकास अधिकारी व प्रशासक को इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर निगरानीकार ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) उदयपुरवाटी को दिनांक 14.07.2025 को प्रार्थना पत्र बाबत पट्टा पत्रावली में आपत्ति दर्ज करवाने प्रस्तुत किया। जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई व मिलीभगत करते हुए ग्राम विकास अधिकारी व प्रशासक/ सरपंच ने बिना भूखंडों का नापतोले किए बिना उचित तरीके से प्रस्ताव लिए गैर निगरानी कार मनीष परमानंद अमित को पट्टे

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

जारी कर दिए। गैर निगरानी कार अमित को ग्राम पंचायत बजावा रावत का के द्वारा पट्टा संख्या 5 बुक नंबर 50 दिनांकित 7.11.2025 को जारी किया गया। कालांतर में अमित कुमार द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा अभिलेख का उप पंजीयक कार्यालय गुढ़ागौड़जी में दिनांक 10.11.2025 को पंजीयन करवा लिया। इसी प्रकार गैर निगरानी कार मनीष को ग्राम पंचायत बजावा रावत का के द्वारा पट्टा संख्या 7 बुक नंबर 50 दिनांकित 7.11.2025 को जारी किया गया। कालांतर में मनीष द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा अभिलेख का उप पंजीयक कार्यालय गुढ़ागौड़जी में दिनांक 10.11.2025 को पंजीयन करवा लिया। गैर निगरानी कार परमानंद को ग्राम पंचायत बजावा रावत का के द्वारा पट्टा संख्या 6 बुक नंबर 50 दिनांकित 7.11.2025 को जारी किया गया। कालांतर में परमानंद द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा अभिलेख का उप पंजीयक कार्यालय गुढ़ागौड़जी में दिनांक 10.11.2025 को पंजीयन करवा लिया। ग्राम पंचायत बजावा रावत का के द्वारा जारी किए गए उक्त तीनों पट्टे विरुद्ध नियम एवं पत्रावली होने से खारिज होने योग्य हैं उक्त पट्टे में श्री बृजलाल जी के हिस्से की 30.5 फिट भूमि का फ्रंट होने के बाद भी ग्राम पंचायत के कर्मठ कर्मचारियों के द्वारा कुल तीन पट्टों में 34.5 फुट के फ्रंट का पट्टा जारी कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त तीनों पट्टे में मिलाकर 4 फुट अधिक भूमि का पट्टा जारी किया गया है। परमानंद के पक्ष में जारी किए गए पट्टे में निगरानी कार के व्यक्तिगत रास्ते को शामलाती रास्ता दिखाया गया है जबकि उक्त रास्ता शामलाती नहीं है ना ही उक्त रास्ते से रामजीलाल के वारिसान के अलावा किसी अन्य को आने जाने का हक व आवश्यकता है। लेकिन मनीष अमित व परमानंद ने मिलीभगत करते हुए 7 फुट के निगरानीकार के व्यक्तिगत रास्ते को चार फीट तक दबाते हुए उक्त प्रकरण ग्रस्त तीनों पट्टे बनवा लिये है। जब भी कोई पट्टा अभिलेख प्राप्त करने का आवेदन किया जाता है तब आवेदन कर्ता जिस भूखंड का पट्टा प्राप्त करना चाहता है उसकी माप एवं चतुर्थसीमा अपने आवेदन निरीक्षण करने जाता है तो मौके की नापतोलकर संबंधित रास्तों को छोड़ते हुए नियमानुसार पट्टा जारी किया जाता है लेकिन तत्कालीन पट्टा जारी कर्ता अधिकारी व मौके पर जांच करने गए अधिकारी ने मौके पर कोई जांच नहीं की बल्कि पट्टा आवेदन कर्ता की बात को ही ब्रह्म सत्य मानते हुए बिना गौका निरीक्षण किया पट्टे जारी कर दिए। पट्टे के संबंध में निगरानी कार द्वारा ग्राम पंचायत के सक्षम अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष हुए ब्लॉक विकास अधिकारी के समक्ष भी आपत्ति प्रस्तुत की गई थी लेकिन निगरानी कार द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति का बिना विधि पूर्ण निस्तारण किया पट्टे जारी कर दिए गए। विधि का सिद्धांत है न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि न्याय किया हुआ दिखाई भी देना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में निगरानीकार के व्यक्तिगत रास्ते को दबाते हुए उक्त प्रकरण ग्रस्त पट्टे जारी किए गए हैं। वादग्रस्त पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अधीन प्ररूप–23 (क) में जारी किये गये है। जिसका तात्पर्य सन् 1996 के प्रारम्भ की तारीख से पूर्ववर्ती 50 वर्ष से अधीक पुराने संनिर्मित घरो पर कब्जा है या पुराने घर पंचायत आबादी की भूमि पर दिनांक 31.12.2016 से ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्ष के दौरान संनिर्मित किये गये है। अर्थात् जिन भूमियों पर वर्ष 2026 तक 80 वर्ष से पूर्व मकान बनाये गये है, उन भूमि पर पट्टा जारी किया जायेगा। लेकिन गैरनिगरानीकार द्वारा निगरानीकार के रास्ते पर कुछ समय पूर्व ही अवैध रूप से निर्मित की गई दीवार / तामीर को योग्य ग्राम विकास अधिकारी ने 70–80 वर्ष पुरानी कैसे माना इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ना ही योग्य अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारी ने इस तथ्य की तरफ भी ध्यान देना जरूरी नहीं समझा की विरासतन संपत्ति का पट्टा जारी करने

Scanned with CamScanner

से पहले आपत्ति विज्ञप्ति मांगी गई थी। उसमें दो बार निगरानीकार के पुत्र जितेन्द्र कुमार द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी तथा उक्त नवनिर्माण के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी के दावे के दस्तावेज भी आपत्ति के साथ प्रस्तुत किये थे। योग्य अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारी ने सुविधा शुल्क की आशा करते हुए आपत्ति को ही पर्याप्त बताया था। परंतु ग्राम विकास अधिकारी की जब नाजायज धनराशि मांगने की मांग को पूरा नहीं किया गया तो योग्य अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारी ने निगरानीकारान को कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया ना ही इस बाबत पट्टा आवेदन फाइल पर कोई आपत्ति नोट अंकित किया ना ही नोटिस के जरिए निगरानीकारान को इस बारे में अपना पक्ष रखने का मौका दिया। बल्कि योग्य ग्राम विकास अधिकारी ने अपनी अतिरिक्त तत्परता और कर्मठता दिखाते हुए गैर निगरानीकारान को उनके हिस्से में आई भूमि से अधिक के पट्टे जारी कर दिये। इस प्रकार पट्टा जारी करना करना ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच / प्रशासक का मनमाना रवैया प्रदर्शित करता है। योग्य अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारी ने सुविधा शुल्क की मांग पूरी नहीं होने के कारण चिढ़ कर निगरानीकारान को अकड़ निकालने की धमकी देते हुए पट्टा जारी कर दिया। इसलिए भी योग्य अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारी का पट्टा जारी करने का उक्त आदेश दिनांक 07.11.2025 स्वेच्छाचारी एवं मनमाना है। गैर निगरानीकारान संख्या 4 व 5 ने मिलकर पट्टे बनाने को व्यापार बना रखा है। जो आवेदनकर्ता गैर निगरानीकारान संख्या 4 व 5 को सुविधा शुल्क जमा करवा देता है उसका पट्टा तो नियमविरूद्ध भी बना दिया जाता है। जो आवेदनकर्ता सुविधा शुल्क जमा नही करवाता देता है उसका पट्टा तो नियमनुसार होने पर भी अड़ंगे लगाकर खारिज कर दिया जाता है। इसका प्रमाण यह है कि गैर निगरानीकारान संख्या 4 व 5 निगरानीकार द्वारा आवेदित पट्टा आवेदन फाइल को केवल आपत्ति लम्बित बताते हुये जारी नहीं कर रहे है। वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच ध्प्रशासक का मनमाना रवैया प्रदर्शित करता है। ग्राम पंचायत बजावा रावत का द्वारा गैरनिगरानीकार 1 लगायत 3 को भिन्न–भिन्न पट्टे जारी किये गये है। लेकिन एक ही भूमि के पट्टे जारी किये जाने के कारण व शामिल रुप से तीनों पट्टों में 4 फीट अधिक नाप दर्शित किये जाने के कारण, माननीय न्यायालय के समक्ष तीनों पट्टों की संयुक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। निगरानी ग्राम विकास अधिकारी के आदेश दिनांक 07.11.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन ग्ग्रम विकास अधिकारी ने मनमाने ढंग से पारित किये गये आदेश की सूचना निगरानीकारान को नहीं हुई। मियाद में अपवर्जित होने योग्य है व निगरानीकारान को धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाना पूर्णतया न्यायोचित है व निगरानी अन्दर मियाद शुमार प्रस्तुत है।

निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 7 को नोटिस भेजकर तामील की गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत बजावा रावत तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि निगरानीकार ग्राम पंचायत रावत का निवासी है तथा पूर्वजों के समय से ही ग्राम बजावा रावत का में ही निवास कर रहा है गैर निगरानीकार परमानंद अमित व मनीष निगरानीकार के परिवार के सदस्य हैं निगरानीकार का एक आवासीय भूखंड ग्राम बजावा रावत का में स्थित है जो निगरानी कर व गैर निगरानी कार का पैतृक भूखंड है उक्त भूखंड

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

निगरानीकार के पूर्वज व गैरनिगरानीकार लगायत 3 के पूर्वज स्वर्गीय श्री मुखराम दाधीच का रहा है उक्त स्वर्गीय श्री मुखराम के चार पुत्र बंशीधर बृजलाल, दुर्गा दत्त व रामजीलाल हुए है। निगरानीकार स्व. श्री रामजीलाल का जायन्दा पुत्र है। कालांतर में पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार स्वर्गीय श्री मुखराम जी ने गुवाड़ी के उत्तरी आधे हिस्से को बंशीधर व दुर्गा दत्त के हिस्से में दिया तथा दक्षिणी आधा हिस्सा निगरानीकार के पिता रामजीलाल और बृजलाल के हिस्से में दिया। क्योंकि रामजीलाल जो की निगरानीकार का पिता है के हिस्से में पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार पीछे का हिस्सा आया। कालांतर में रामजीलाल व बृजलाल के बीच सड़क से लगते हुए आगे के भूखंड के बाबत विवाद होने पर पारिवारिक सदस्यों के बीच लॉटरी निकाली गई जिसमें आगे का भूखंड बृजलाल जी के हिस्से में आया तथा तत्कालीन समय में मौजूद पारिवारिक सदस्यों द्वारा यह तय किया गया कि उक्त आगे के भूखण्ड से पिछले भूखंड में जाने के लिए 7 फुट का रास्ता आपसी राजीनामें से व्यक्तिगत रूप से रामजीलाल जी के हिस्से लिए छोड़ा गया उसके पश्चात श्री रामजीलाल जी मौजिज व्यक्तियों का कहना मानते हुए पीछे की भूमि व 7 फुट का व्यक्तिगत रास्ता लेकर उसे पर काबिज हो गए वह मकान वगैरह बना लिए जो रास्ता व्यक्तिगत रूप से श्री रामजीलाल जी को दिया गया था उसके उत्तर में दुर्गा दत्त जी व बंशीधर जी के वारिसान ने पुख्ता दीवार निकाल ली तथा दक्षिण में श्री बृजलाल जी व उनके वारिसान ने दीवार निकाल ली। इस प्रकार बृजलाल जी का रामजीलाल जी के हिस्से में आई भूमि व रामजीलाल जी के व्यक्तिगत 7 फीट के रास्ते से कोई लेना–देना ना रहा तथा श्री बृजलाल जी का मुख्य मार्ग पर स्थित भूमि जिसकी चौड़ाई 30 फीट 6 इंच से रामजीलाल जी का कोई लेना–देना ना रहा। स्वर्गीय श्री रामजीलाल का देहांत होने के पश्चात निगरानीकार सीताराम रामजीलाल जी के हिस्से की भूमि का उत्तराधिकारी बना तथा अपनी आवश्यकता व सुविधा अनुसार उक्त भूखंड में मकान का निर्माण करवाया। कालांतर में बुजुर्गों के जाने के बाद बृजलाल के वारिसान के मन में बेईमानी आ गई तथा पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार रामजीलाल जी के हिस्से में छोड़े गए व्यक्तिगत रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया जिसके बाबत निगरानीकार ने एक दावा सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी के समक्ष विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा, अवैध तामीरात को हटाने बाबत प्रस्तुत कर रखा है। कालांतर में निगरानीकार के पुत्र जितेंद्र को यह पता चला कि बृजलाल जी के वारिसान परमानंद, अमित व मनीष द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पैतृक भूमि का पट्टा बनाने के लिए आवेदन कर रखा है तो निगरानी कार के पुत्र जितेंद्र ने ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बजावा रावत का को आपत्ति दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05. 2025 को प्रस्तुत किया। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच/प्रशासक की मनीष वगैरह के साथ मिली भगत के चलते उक्त प्रार्थना पत्र पर कर कोई कार्यवाही नहीं की गई। निगरानीकार ने दिनांक 07.07.2025 को भी ग्राम विकास अधिकारी व प्रशासक को इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर निगरानीकार ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) उदयपुरवाटी को दिनांक 14.07.2025 को प्रार्थना पत्र बाबत पट्टा पत्रावली में आपत्ति दर्ज करवाने प्रस्तुत किया। जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई व मिलीभगत करते हुए ग्राम विकास अधिकारी व प्रशासक/ सरपंच ने बिना भूखंडों का नापतोले किए बिना उचित तरीके से प्रस्ताव लिए गैर निगरानी कार मनीष परमानंद अमित को पट्टे जारी कर दिए। गैर निगरानी कार अमित को ग्राम पंचायत बजावा रावत का के द्वारा पट्टा संख्या 5 बुक नंबर 50 दिनांकित 7.11.2025 को जारी किया गया। कालांतर में अमित कुमार द्वारा आवासीय

Scanned with CamScanner

भूमि का पट्टा अभिलेख का उप पंजीयक कार्यालय गुढागौड़जी में दिनांक 10.11.2025 को पंजीयन करवा लिया। इसी प्रकार गैर निगरानी कार मनीष को ग्राम पंचायत बजावा रावत का के द्वारा पट्टा संख्या 7 बुक नंबर 50 दिनांकित 7.11.2025 को जारी किया गया। गैर निगरानीकार के हिस्से में 30–30 फिट की जमीन बनती है जबकि पट्टे 34–34 फीट के जारी किये होने के कारण निगरानीकार के घर का रास्ता अवरूद्व हो गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष आपति भी प्रस्तुत की गई थी। पट्टे निरस्त किया जाकर पत्रावली रिमाण्ड किया जाकर हमारे रास्तो को छोडकर पट्टे जारी किया जावें।

बहस के दौरान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 7 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए ग्राम पंचायत बजावा रावत ने पट्टा हमारे पक्ष में विधि सम्मत कार्यवाही की है। मौके पर निर्माण बहुत पुराना है, जो उपलब्ध करवाई गई फोटो से साबित होता है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर बगैर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण में गैर निगरानीकार के हिस्से में 30–30 फिट की जमीन बनती है जबकि पट्टे 34–34 फीट के जारी किये होने के कारण निगरानीकार के घर का रास्ता अवरूद्व हो गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे नियमानुसार नहीं है। इस संबंध में रिकार्ड अदालत मातहत का अवलोकन किया, जिससे साफ जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित आवेदन प्राप्त होने पर विधिक प्रकिया के अनुसार पट्टा जारी नही किया गया है। गैर निगरानीकार अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहे है। ऐसे में निगरानीकार की निगरानी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बजावा रावतका द्वारा धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय पट्टा संख्या 05, अमित कुमार पुत्र श्याम सुन्दर व पट्टा संख्या 06, परमानन्द पुत्र बृजलाल व पट्टा संख्या 07, मनीष पुत्र दयानन्द दिनांक 07.11. 2025 बसिलसिले पट्टा को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित आवेदन प्राप्त कर विधिक प्रकिया के अनुसार पंचायत द्वारा निगरानीकार की आपत्ती सुनकर ही पट्टा जारी किया जावें। निगरानी खारिज होने की स्थिति में स्थगन के बाबत अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नही है। निगरानीकार भारतीय मियाद अधिनियम धारा दफा 5 के तहत निगरानी पूर्णतया न्यायोचित है व निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती हैं। रिकॉर्ड ग्राम पंचायत बजावा रावतका को फैसले की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Scanned with CamScanner